भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)
निगमित पहचान संख्या :U51490MH1970GOI14733
10वीं मंजिल, साकार-I, गांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास,
नेहरू ब्रिज के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009.
दूरभाष/Telephone –079-26588822/26578128, फ़ैक्स/Fax-079-26589717.
वेबसाईट : http://www.cotcorp.org.in, http://www.ministryoftextiles.gov.in,
ई-मेल : ahmedabad@cotcorp.com

सूचना का अधिकार

सं. भाकनि/अहद/विपणन/परिवहन/2018-19/ **दिनांक : 04.07.2018**

निविदा सूचना (TENDER NOTICE)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा कपास वर्ष 2018-19 के दौरान निगम के विभिन्न प्रस्तावित खरीद केन्द्रों से रूई गांठों के स्थानीय परिवहन कार्य के लिए प्रतिष्ठित परिवहन ठेकेदारों से II-बिड प्रक्रिया के तहत मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है । निविदा फार्म कार्यालयीन दिनों में कार्यालय समय 10.00 से 6.00 बजे के दौरान हमारे कार्यालय से दिनांक **12.08.2018** तक प्राप्त किये जा सकते है या निगम की वेबसाईट www-cotcorp.org.in एवं गर्वमेन्ट वेबसाईट www.eprocure.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा के साथ **रू.112/-** का डिमान्ड ड्राफट '' The Cotton Corporation of India Limited '' के नाम से payable at Ahmedabad निविदा के साथ लगाना अनिवार्य हैं ।

इच्छुक परिवहन ठेकेदार उनके भाव निर्धारित ऑफर फार्म में भरकर सभी पहलुओं से विधिवत तैयार निविदा फार्म मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर '' **कपास मौसम वर्ष 2018-19 के लिए स्थानीय परिवहन टेन्डर** '' अंकित हो, **महा प्रबंधक** के नाम शाखा कार्यालय में दिनांक **13.08.2018** को सुबह 11.00 बजे तक या इससे पहले पहुँचाएं । निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त हुई मुहरबंद निविदाओं को उसी दिन दोपहर 12.00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा । निगम किसी भी टेन्डर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता हैं ।**(VISIT US AT www.cotcorp.org.in)**

महा प्रबंधक

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD
BRANCH OFFICE, AHMEDABAD

TECHNICAL BID -I

Timings :-

*	Last date/time of tender form distribution.	:	12.08.2018	upto	5.00	pm.
*	Last date/time of submission of tender	:	13.08.2018	upto	11.00	am.
*	Date of tender opening	:	13.08.2018	at	12.00	Noon.

1. **Name of the transporter/firm** : _____

2. **Father's name (If individual)** : _____

3. **Full postal address for communication** : _____

_____

_____

E-mail ID if any. : _____

Mobile No. : _____

Landline No. (with StD code) : _____

4. **Name of centre for which tender is submitted.** : _____
_____

5. **Details of EMD** : **D.D.No._____dated_____**

Amount Rs._____

Bank _____

6. **Details of tender form fee (If downloaded from website)** : **D.D. No._____dated _____**

Amount Rs._____

Bank _____

7. **PAN & GST No. (Enclose copy)** : _____

8. **Permanent Address. (with phone No.)** : _____

_____

_____

9. **Whether the transporter have more than 10 goods carrier (please tick) (if no, please submit a declaration as attached with tender notice)** : **YES** **NO**

10. **Experience of transportation of cotton bales.** : _____**Years.**

11. **If earlier worked for The CCI Ltd** : **Crop year : _____**

Date : _____ **Signature (with seal) : _____**

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Government of India Undertaking)
निगमित पहचान संख्या :U51490MH1970GOI14733
10वीं मंजिल, साकार-I, गांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास,
नेहरू ब्रिज के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009.
दूरभाष/Telephone –079-26588822/26578128, फ़ैक्स/Fax-079-26589717.
वेबसाईट : http://www.cotcorp.org.in, http://www.ministryoftextiles.gov.in,
ई-मेल : ahmedabad@cotcorp.com

परिवहन की शर्तें

1. टेन्डर फार्म **दिनांक 13.08.2018 को सुबह 11.00 बजे (sharp) तक** हमारे कार्यालय के टेन्डर बोक्स में डालने होंगे अथवा शाखा कार्यालय में पहुँचाने होगें तथा जो निविदाकर्ता टेन्डर प्रक्रिया में उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं जिनके सामने प्राप्त टेन्डर उसी दिन दिनांक **13.08.2018** को दोपहर 12.00 बजे खोले जायेगें । **दिनांक 31.08.2018 को शाखा द्वारा प्राप्त दरों की Negotiation and Finalisation के पश्चात् न्यूनतम दर प्रस्तावित (L1) करनेवाले ठेकेदार को ही कार्य आबंटित किया जायेगा ।**

2. निविदा देने से पहले शर्तों को ध्यानपूर्वक पढा जाए एवं निविदा से संबंधित कोई भी जानकारी शाखा कार्यालय, अहमदाबाद अथवा संबंधित केन्द्र/गोदाम प्रभारी से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है । लेकिन निविदाकर्ता द्वारा एक बार निविदा डाल देने के बाद कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं यह भी स्वीकार्य नहीं होगा कि गलती से लिखा गया है । प्रस्ताव सिर्फ निर्धारित फार्म में ही भरे जायें । अन्य कोई फार्म अथवा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा ।

3. प्रस्तावित केन्द्रों से विभिन्न गोदामों के लिए निविदा डालने से यह जरूरी नहीं कि वहाँ निगम का कार्य अवश्य होगा । कार्य न होने की स्थिति में निविदाकर्ता दिनांक **31.12.2018** के बाद धरोहर राशि वापस लेने हेतु आवेदन कर सकता है ।

4. निविदा दो भाग में विभाजित है यानि तकनिकी बिड (BID-I) तथा फाईनान्सियल (Financial) बिड (BID II) । परिवहन ठेकेदार ये दोनों दो अलग अलग सीलबंद कवर में जिन पर BID-I तथा BID-II अंकित रहेगातथा इन दोनों को एक तीसरे सीलबंद कवर में डालकर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर **" कपास मौसम वर्ष 2018-19 के लिए स्थानीय परिवहन टेन्डर "** लिखा/अंकित होना चाहिए ।

5. निगम की शाखा कार्यालय, अहमदाबाद पर गठित समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में प्राप्त टेन्डरों में से पहले तकनिकी बिड (BID-I) खोली जायेगी । वित्तीय बिड (BID II) उसी समय केवल उन्हीं ठेकेदारों से संबंधित खोली जायेगी जिन्हें BID I में योग्य घोषित किया गया हो ।

6. परिवहन कार्य अनुमोदित दरों पर पूरे कपास मौसम यानि 2018-2019 के दौरान जारी रखा जायेगा । किसी भी कारणों से बाद में दरों की वृधि पर विचार नहीं किया जायेगा ना तो इस बारे में कोई प्रस्ताव रखा जायेगा | **" निविदाकर्ता द्वारा Quote की जानेवाली दरे सभी करों सहित होगी (GST को छोड़कर) " |** यह दरे 15.08.2018 से 30.09.2019 तक प्रभावी रहेंगी | जरुरत पड़ने पर आपसी सहमती से यह समय सीमा तीन महीने के लिये बढाई जा सकती है |

7. यदि निविदाकर्ता द्वारा दी गयी निविदा में निगम की शर्तो के अलावा कोई भी शर्ते राखी अथवा संलग्न की जाती है तो वे मानी नहीं होगी | निगम की शर्तो के अनुसार ही कार्य आदेश दिया जायेगा | अतः निविदा कर्ता निविदा में अपनी ओर से कोई भी शर्त अलग से न रखे |

8. निगम के प्रस्तावित केन्द्रों पर परिवहनकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि / कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी | परिवहनकर्ता का रुई गांठो के परिवहन का अनुभव प्लस POINT माना जायेगा |

9. उठाई जानेवाली गांठो की संख्या की जानकारी के लिए ट्रान्सपोर्टर को निगम के केन्द्र प्रभारी/फेक्टरी प्रभारी से निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा | ट्रान्सपोर्टर को फेक्टरी से गांठो को उठाने की व्यवस्था लोट के प्रेसिंग होने की तारीख से अधिक से अधिक 5 दिन की भीतर करनी होगी | अगर किन्ही अपरिहार्य कारणों से गांठे उठाने में देरी होती है तो तुरन्त केन्द्र प्रभारी को सुचित करना होगा | अगर बिना किसी ठोस कारण के गांठे उठाने में विलंब हुआ तो कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु निगम द्वारा ट्रान्सपोर्टर के Cost/Risk पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिसकी साड़ी जिम्मेदारी ट्रान्सपोर्टर की होगी एवं इसके लिए ट्रान्सपोर्टर को कोई अन्य सूचना/नोटीस दिया जाना आवश्यक नहीं होगी |

10. परिवहन का कार्य सी.डबल्यू.सी./जी.एस.डबल्यू.सी./ए.पि.एम.सी./सोसायटी आदि के कार्यालय समय के दौरान पूरा करना होगा एवं इन संस्थाओं द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा |

11. गांठो को ले जाने के दौरान रास्ते में अगर, किसी प्रकार का Non-refundable खर्चा अर्थात Octroi तथा स्टेच्यूटरी (सांविधिक) चार्ज आदि लगता हो तो इसका भुगतान ट्रान्सपोर्टर करेगा जो उसे अपने बिल के साथ भारतीय कपास निगम के नाम की ओरिजिनल रसीद प्रस्तुत करने पर वापस कर दिया जायेगा |

12. परिवहनकर्ता द्वारा प्रत्येक माह 10, 20 एवं 30 तारीख तक के कार्य के परिवहन कब बिल प्रस्तुत किये जायेंगे | छोटे छोटे बिल तैयार नहीं किये जायेंगे | बिल दो प्रतियों में तैयार किये जायेंगे जिनमे गांठो की संख्या / लोट नंबर / पि.आर.नंबर / स्टेशन / वेराइटी, फसल वर्ष, गांठो का मूवमेंट, ट्रक/लोरी नंबर, प्रति गांठ दर आदि के विवरण दर्शाये जायेंगे तथा **ये बिल सम्बधित केन्द्र प्रभारी से सत्यापित करवाकर ही शा.का. में प्रस्तुत किये जाने चाहिये |**

13. निगम के अहमदाबाद कार्यालय में बिलों का भुगतान बिल प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर किया जायेगा बशर्ते कि बिल सही हो | उपरोक्त अनुसार प्राप्त बिलों के चैकिंग के बाद उनका 90% भुगतान 10 दिन में परिवहनकर्ता को आयकर अधिनियम के अनुसार जरुरी कटौती (TDS) के बाद किया जायेगा | शेष 10% राशि का भुगतान ट्रान्सपोर्टेशन कार्य के संतोषजनक निष्पादन के बाद फसल वर्ष के अन्त में किया जायेगा | **अगर निगम के पास एसी कटौती एवं घरोहर राशि को मिलाकर पांच लाख रुपया जमा हो जाता है तो ट्रान्सपोर्टर के आवेदन करने पर इससे अधिक राशि उसे लौटाई जा सकती है बशर्ते उसका कार्य संतोषजनक रहा हो |**

14. निगम के केन्द्रों पर ट्रान्सपोर्ट होनेवाली गांठो को प्राप्त करते समय परिवहनकर्ता गांठो के प्रेस नोट की एक प्रति लेंगे तथा अपने प्राधिकृत एजेंट या कर्मचारी का हस्ताक्षर देंगे | लदान के समय अगर गांठे डेमेज/बर्स्ट पायी जाए तो उनकी कंडीशन का विवरण एल.आर/जी.सी. नोट में दर्ज किया जाये तथा लदान के समय सी.सी.आई. के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाये |

15. गंतव्य स्टेशन पर पहुँचने के बाद गांठे आदि की डिलीवरी देते समय परिवहनकर्ता सीसीआई के प्रतिनिधि की सही पावती हेतु हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा इस पावती को वे ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज के बिल के साथ सी.सी.आई को पेश करेंगे | गांठो की डिलीवरी गन्तव्य स्थान पर ऑफिस समय अवधि के दौरान देनी होगी |

16. ट्रान्सपोर्टेशन के लिये सौपे गये माल का पूरा ध्यान परिवहनकर्ता रखेगा | किसी प्रकार की हानि के लिये सभी गांठो की नुकसानी या खराबी के लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा |

17. रुकावट तथा वापसी (डिटेन्सन एण्ड रिटर्न) के लिए किसी प्रकार के भाड़े का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा |

18. ट्रक की हालत एसी न हो की वह गांठो को क्षतिग्रस्त करें | केमिकल्स तथा कोयला आदि ढोने वाले ट्रकों की पूरी सफाई करने के पश्चात ही गांठो की लदाई की जायें | आवश्यकता अनुसार परिवहनकर्ता को ट्रक पर खुद की तारपोलिन आदि बिछा कर गांठो की लदाई करनी होगी |

19. यदि दो या दो से अधिक परिवाहक एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो उनमें बराबर बराबर मात्रा में कार्य आबंटित किया जायेगा |

20. गांठो के परिवहन संबंधित कार्य में दोषी होने पर यदि निगम को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो परिवाहक द्वारा दी गई जमा राशि जब्त कर लि जायेगी एवं परिवाहक को ब्लेक लिस्ट करते हुए नुकशान की राशि वसूलने हेतु कानूनी कारवाई की जा सकती है |

21. टेन्डर में भरी हुई स्पष्ट होनी चाहिए, जो दरें स्पष्ट नहीं होंगी वह दरें रद समझी जाएगी | फैक्स या ई-मेल मानी नहीं होगी | **अगर टेन्डर में भरी गयी दरों में कटींग की जाती है तो उस पर हस्ताक्षर अवश्य किए जाए | पेन्सिल से लिखे गए दर मान्य नहीं होंगे |**

22. लदान करने की जगह से गन्तव्य स्थान पर उतारने तक माल के खो जाने, नुकसान होने, चोरी होने या नष्ट हो जाने पर परिवाहक को माल की पूरी कीमत की पूर्ती करनी होगी | साथ ही माल को गन्तव्य स्थान पर डिलीवरी नहीं देने के परिणाम स्वरूप जो अनुगामी हानि और घाटा होगा उसके लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा |

23. वर्त्तमान में प्रभावी स्थानीय निकाय, राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पब्लिक करियर पर लागू सभी अधिनियमों तथा अन्य क़ानून द्वारा करियर पर निर्दिष्ट जिम्मेदारी के अतिरिक्त केन्द्र पर रुई की गांठो की डिलीवरी लेने के समय से लेकर रुई की गांठो की वास्तविक रूप से डिलीवरी सीसीआई को या इसके आदेशानुसार देने के दौरान रुई गांठो को हानि या कोई भी अधिनियम या क़ानून के उल्लंघन के लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा |

24. रुई की गांठो के परिवाहक द्वारा लोडिंग के पश्चात से गांठो की अनलोडिंग तक के दौरान यदि गांठो को किसी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये परिवाहक सीसीआई को क्षतिग्रस्त करेगा चाहे रुई गांठो को नुकसान होने के कारणों पर परिवाहक का युक्तिपूर्वक नियंत्रण रहा हो या न रहा हो |

25. परिवाहक को बीमा नियमों के अनुसार ट्रक में लादी गई रुई की गांठो को तुरन्त अच्छे और मजबूत तारपोलिन से ढकना होगा | यदि इस प्रकार गांठो को तारपोलिन से ढके न जाने पर होने वाली किसी भी हानि की भरपाई परिवाहक द्वारा निगम को करनी होगी |

26. परिवहनकर्ता को समय समय पर जो रुई गांठे एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने के लिए सुपुर्द की जाती है उनके किसी भी भाग को वह गिरवी (मोर्टगेज) नहीं रखेगा तथा इन शर्तो के उल्लंघन करने पर पूरी हानि तथा नुकसान के लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा |

27. यदि गांठो के परिवहन के दौरान किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इस नुकसान का एसेसमेन्ट करने के लिए सीसीआई या बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा मांगी गई सभी सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा | परिवहनकर्ता को इसे माल को पुनः बुकिंग स्थल पर अथवा जहां सीसीआई चाहेगी उस ठिकाने पर पहुचाना होगा तथा सीसीआई को अथवा उसके उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौपना होगा जिसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा |

28. निगम की लिखित आन्या के बिना रास्ते में ट्रान्सशिपमेन्ट की अनुमति नहीं होगी |

29. सीसीआई या उसके प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता को सौपे गये माल का नियंत्रण निविदा में दी गई शर्तो द्वारा तय किया जायेगा तथा लोरी रसीद में निर्दिष्ट शर्तो या अनुदेशों को जो इसमें दर्शाई गई शर्तो के प्रतिकूल होंगी, (उन्हें) निष्क्रिय माना जायेगा जो सीसीआई के लिये बाध्यकारी नहीं हेंगी |

30. निविदा में दी गई किसी भी शर्त का परिवहनकर्ता द्वारा उल्लंघन करने पर सीसीआई को यह अधिकार होगा कि वह तीन दिन की लिखित नोटीस देकर इस कोंट्राक्ट को समाप्त कर दें तथा जमानत राशि जब्त कर लें |

31. जिस ठेकेदार के न्यूनतम दर पायें जाते हैं उसे कार्य आदेश जारी होने के 7 दिनों में **रु. 100/-** के स्टेम्प पेपर पर एक अनुबंध करवाकर देना होगा जिसका स्वरूप निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा | निगम के कार्यालय में यह अनुबंध प्राप्त होने पर ही कार्य दिया जायेगा |

32. अंतिम निर्णय होने की तारीख से तय की गयी दर एक वर्ष की अवधि अथवा अधिकतम 30 सितम्बर,2019 तक लागू रहेंगी तथा जरुरत पड़ने पर दोनों पार्टियो की सहमति से अधिकतम अगले तीन महीने के लिये इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है | इस दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा दर बढाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल,पेट्रोल,टायर व अन्य कल पुर्जो के दर बढाने पर या कोई टैक्स लागू करने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा तथा टेन्डर में भरी/स्वीकृत की गई दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी | अतः टेन्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान लागू रहेंगी और परिवाहक उन्ही दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा | सभी गांठे परिवाहक को सड़क परिवहन द्वारा भेजनी पड़ेगी और किसी भी कारणवश यह सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती |

33. निविदा में दर्शाए गए सभी खरीद केन्द्र प्रस्तावित है | आवश्यकता पड़ने पर नये खरीद केन्द्र एवं गांठो के भंडारण हेतु नये गंतव्य स्थानों के लिये केन्द्र स्तर पर ही उचित प्रक्रिया अपनाते हुए Short Tender Notice जारी कर निगम द्वारा गांठो के परिवहन दरों कर निर्धारण किया जा सकता है |

34. गांठों के हेन्दलिंग (Movement) के दौरान किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना के कारण अगर किसी मजदूर या अन्य व्यक्ति को शारीरिक / मानसिक क्षति पहुंचती है तो वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा ।

35. परिवहनकर्ता को अपने टेण्डर में BID-I के साथ बयाना के रूप में अलग अलग केन्द्रों के लिए निर्धारित जमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंकर्स चैक द्वारा जमा करनी होगी तथा उक्त डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंकर्स चैक दि कोटन कोर्पोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड के पक्ष में अहमदाबाद में पेयेबल होना चाहिए । अगर एक से ज्यादा केन्द्रों के लिए टेन्डर दिया जाता है तो बयाना राशि तदानुसार बढ़ जाएगी । वर्ष 2018-2019 के लिए बयाना के रूप में आवश्यक जमानत राशि अलग से जमा करनी होगी । **पूर्व की जमा राशि का कोई भी संदर्भ नहीं लिया जाएगा ।**

जो परिवानकर्ता केवल कांडला , मुंड्रा और पीपावाव गोदाम तक कार्य करने हेतु इच्छुक है वे परिवहनकर्ता को अपने टेन्डर में BID-I के साथ बयाना के रुप में निर्धारित जमानत **राशि रू. 20.00 लाख** का डिमान्ड ड्रफ्ट / पे ओर्डर / Banker's Cheque/ बैंक गारंटी द्वारा जमा करनी होगी तथा उक्त डिमान्ड ड्राफ्ट / पे ओर्डर या Banker's Cheque **दि कॉटन कोर्पोरेशन ओफ इन्डिया लिमिटेड** के पक्ष में **अहमदाबाद** में पेयेबल होना चाहिये । जिन परिवहनकर्ता की **रु. 20.00 लाख** की बैंक गारंटी निगम के किसी भी कार्यालय में जमा है उस पार्टी को कांडला , मुंड्रा और पीपावाव गोदाम तक कार्य करने हेतु निविदा के साथ **रु. 20.00 लाख EMD** के तौर पर जमा करवाने की आवश्यकता नही है ।

केन्द्रवार निर्धारित जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	**केन्द्रों के नाम**	**जमानत राशि (प्रति केंद्र)**
1	समलाया / शिनोर / कर्जन / बोड़ेली / बहादरपुर / गोलागामडी / दभोई / कलेडिया हांदोद / पावी जेतपुर / कोसिन्द्रा / नसवादी / निज़र / हिम्मतनगर / जादर	1.00 लाख
2	साथाम्बा / वडाली / इडर / विजापुर / धन्धुका / पालेज / जगड़िया / विसनगर / माणसा / कपडवंज / देहगाम / पालेज / समनी / वालिया	50 हज़ार

नोट : पांच से अधिक केन्द्रों के लिए अधिकत्तम बयाना राशि रु.10.00 लाख होगी ।

36. निगम के कोई भी केंद्र पर कार्य की अथवा कार्य के मात्रा की कोई गारंटी नहीं होगी ।

37. **गांठों की अनलोडिंग के चार्ज का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा मजदूरों को निर्धारित दरों पर करना होगा । अन्यथा बिलों में से आवश्यक कटौती की जा सकती है ।**

38. इस कोंट्राक्ट से बहार या इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद या दावा उत्पन्न होने पर इसे मध्यस्थता के लिये एक मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा जिसकी नियुक्ति भारतीय कपास निगम लिमिटेड , अहमदाबाद के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसमें निगम का कोई भी कर्मचारी नहीं होगा । जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षकारों को बाध्यकारी होगा तथा इस मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम , 1996 के प्रावधानों द्वारा किया जाएगा ।

39. निगम के टेन्डर बोक्स में एक बर टेण्डर डालने के पश्चात् निविदाकर्ता टेण्डर वापस नहीं मांग सकता । टेण्डर वापस मांगने पर डिपोजिट की राशि जप्त की जा सकती है ।

40. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी जानकारी अगर गलत पी जाती है उसको जारी किये गए WORK ORDER को निरस्त कर दिया जाएगा तथा एसी स्थिति में निगम द्वारा उक्त परिवाहक की निगम के पास जमा राशि जब्त की जा सकती है ।

41. भारतीय कपास निगम लिमिटेड बिना कोई कारण बताएं किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा उसका कोई भाग रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

42. टेण्डर भरनेवाले परिवाहकों द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों को ध्यान रखना होगा । एक बार टेण्डर फार्म देने के बाद यह मन जाएगा कि परिवाहक ने इस फॉर्म में दी गई सभी नियम एवं शर्तें ध्यान से पढ़ लि है तथा वे इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य है ।

43. **प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर को प्रति सप्ताह एक स्टेटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लोट नम्बर / गांठो की संख्या / लारी नम्बर / लारी रसीद नम्बर और डिस्पेच की तिथि , स्टेशन (गोदाम) जहाँ गांठें भेजी गयी उसका नाम अंकित होना चाहिए । ट्रान्सपोर्टर को प्रति दिन केंद्र / गोदाम से उठाये जाने वाली गांठों का विवरण शाखा कार्यालय , अहमदाबाद को प्रस्तुत करना होगा ।**

44. इस संविदा के बहार या इससे संबंधित किसी प्रकार का यदि विवाद उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार केवल अहमदाबाद होगा ।

45. यदि निविदाकर्ता को निविदा की शर्तों एवं / अथवा निविदा प्रणाली के संबंध में कोई भी प्रश्न है तो वे शाखा कार्यालय में पूछताछ कर सकते है । इसके आलावा किसी निविदा को अस्वीकृत किया जाता है अथवा संभावित निविदा कागजात जारी किए जाते हैं तो वह शाखा कार्यालय से अस्वीकृति का कारण पूछ सकता है ।

(विशाल सिन्हा)
महा प्रबंधक

मैंने उपरोक्त शर्तें पढ़ी है तथा मुझे मंजूर है ।

_____

ट्रान्सपोर्टर के हस्ताक्षर मोहर के साथ

स्थल : _____
दिनांक : _____

<u>पार्टी के लेटर हैड पर होना आवश्यक है ।</u>

Declaration under Section 194(6) for Non-deduction of Tax at Source

To,
M/S. The Cotton Corporation of India Ltd.
Ahmedabad

Declaration

I ,Mr._____(Proprietor / Partner/ Director of) M/S._____(Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the income Tax Act, 1961 for receiving payment from the payer without deduction of tax at source.

1. That I/WE am/are authorized to make this declaration in the capacity as proprietor/partner/Director.
2. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.
3. That the contractor does not own more than goods carriage as on date.
4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the period 2017-18(01.11.2017 to 31.10.2018), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.
5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is _____, A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.
6. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed from of declaration as notified by the Income tax department.

Place :_____
Dated : _____ **Declarant**

VERIFICATION

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place :_____
Dated :_____

Name of the Declarant and Signature